

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप (नगरीय क्षेत्र के लिये)

प्रति

नगर आयुक्त,

नगर निगम.....जनपद.....

अधिसासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत.....जनपद.....उत्तर प्रदेश।

विषय- "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन एवं विवाह सहायता राशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

भाग-अ

आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक

आवेदक का बीपीएल कार्ड क्रमांक

1- आवेदिका का नाम.....

2- आवेदिका के पिता/अभिभावक का नाम.....

3- आवेदिका की माता का नाम.....

4- निवास का पता

5- आवेदिका की जन्म तिथि दिनांक माहवर्ष

6- आवेदिका की विवाह के समय आयु

7- जाति/वर्ग(अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक).....

8- आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय (रु०).....

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर)

9- परिवार का बी०पी०एल० कार्ड क्रमांक एवं दिनांक

10- बचत खाता

बैंक का नाम -.....शाखा का नाम..... खाता क्रमांक

आईएफसी कोड

आवेदिका का
पासपोर्ट साइज
फोटो

भाग-ब-

वर का आधार कार्ड क्रमांक

11- वर का नाम.....

12- वर के पिता/अभिभावक का नाम

13- वर की माता का नाम

14- निवास का पता.....

15- वर की जन्म तिथि दिनांक माह वर्ष

16- विवाह के समय आयु

17- व्यवसाय एवं वार्षिक आय

18- बचत खाता :

बैंक का नाम :शाखा का नाम खाता क्रमांक

आईएफसी कोड

वर का पासपोर्ट
साइज फोटो

भाग-स

19- विधवा/परित्यक्त आवेदिका के सम्बन्ध में जानकारी -

- (1) पूर्व पति का नाम
- (2) पूर्व पति से विवाह होने का दिनांक
- (3) पूर्व पति की मृत्यु/विवाह विच्छेद होने का दिनांक
- (4) पूर्व पति के पिता/अभिभावक का नाम एवं पता

अभिकथन

मैं सत्यनिष्ठा से कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उक्त जानकारी सही है तथा मैंने "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत पूर्व में किसी तरह की विवाह सहायता प्राप्त नहीं की है। मैं यह विवाह परिवार और अपनी सहमति से कर रही हूँ।

स्थान.....

दिनांक

आवेदिका के हस्ताक्षर

एवं पूरा नाम

अभिकथन

मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता हूँ कि मैं "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत पात्रता के मापदण्ड में आता हूँ तथा मेरी कन्या/पुत्री के विवाह हेतु पहली बार सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरी कन्या एवं वर दोनों की आयु विवाह योग्य है।

स्थान

दिनांक

कन्या के पिता/अभिभावक के

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी एवं पूरा नाम

नोट :-

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें :-

- 1- आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- 2- गरीबी रेखा/निराश्रित/बीपीओएल0 कार्ड की छायाप्रति,
- 3- कन्या एवं वर की एक-एक पासपोर्ट साइज फोटो
- 4- विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- 5- परित्यक्ता होने की स्थिति में न्यायालयी आदेश की छायाप्रति
- 6- कन्या के बैंक खाता से सम्बन्धित पास बुक की छायाप्रति।

.....प्राप्ति रसीद.....

आवेदक का नाम:-

पता-

दिनांक:-

कार्यालय प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

एवं नाम/पदनाम